HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 06.05.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Original Application No. 305 of 2022 titled "Vipin Nayyar Versus Union of India & Ors".

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Compliance Report.	1 - 5
2	**ANNEXURE-1:** Copy of Inspection Report of the Joint Committee.	6 - 27
3	**ANNEXURE-2:** Copy of letter dated 22.07.2022 of UKPCB.	28 - 29

Date: 24 August, 2022

Place: Dehradun

Compliance Report

Original Application No. 305 of 2022

In the matter of:

Vipin Nayyar .... Applicant

Union of India & Ors. ……..……… Respondent

I. BACK GOROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 305 of 2022, Vipin Nayyar Versus Union of India & Ors. On dated 06.05.2022:

"1 to 10….. ..xxx………………………..xxx…………………………xxx

11. Accordingly, we constitute Joint Committee comprising of representative of SEIAA, Uttarakhand, Chief Engineer Irrigation Division Ist, Dehradun, Member Secretary, Uttarakhand PCB, District Magistrate Dehradun and a Principal Scientist (to be nominated by Director) each from National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee and Forest Research Institute Dehradun, Uttarakhand and direct the same to demarcate the location and position of the Moga Resort with latitude and longitude with specific reference to the question as to whether Moga Resort is situated on reserved forest land, in 1:25 Flood Plain Zone and in the prohibitory Zone of archaeological excavation site and submit its report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

xxx…………………………xxx…………………………………xxx"

2. In compliance of order passed by the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi on dated 06.05.2022, the Joint Committee undertaken the inspection of area in question 21.06.2022. Following officials were part of Joint Committee:

   i) Shri K.K. Mishra, Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Dehradun dun – Representative of District Magistrate, Dehradun.
   ii) Dr. Amrita Sharma, Tehsildar, Tehsil Rishikesh, District Dehradun - Representative of District Magistrate, Dehradun.
   iii) Shri Dinesh Uniyal, Executive Engineer, Irrigation Division, Dehradun- Representative of Chief Engineer, Irrigation Division, Dehradun.
   iv) Dr. A.K. Lohani, Scientist "G", National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee.
   v) Dr. Parmanand Kumar, Scientist "D", Forest Research Institute, Dehradun.
   vi) Dr. Raj Kumar Chaturvedi, Regional Officer (I/c), UKPCB, Regional Office, Dehradun.

II. FACTUAL REPORT

Observations of the Joint Committee and clarification dated 25.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Dehradun are as given below:

1. राजस्व अभिलेखानुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता संख्या-273 पर अंकित आदेश न्यायालय सह0 कले0 प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता संख्या-260 के ख.न.-94घ रकवा 0.0450 है0 94ड रकवा 0.0810 हे0, 95घ रकवा 0.0130 है0 **कुल रकवा 0.1390 है0** भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि. ग्राम (अनुसूचितजाति) को उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी(4च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित हैं। विनियमितिकरण से पूर्व उक्त भूमि श्रेणी 5(1) नई परती के रूप में दर्ज थी। उक्त भूमि पर वर्तमान समय में मोगा रिसोर्ट बना हुआ है, जिसमें कुल 16

कमरे व 02 हाल के अतिरिक्त 04 आवासीय कमरे हैं। स्थल पर मौजूद कुल क्षेत्रफल 1478 वर्गमीटर पाया गया। उक्त मोगा रिसोर्ट रम्भा नदी के मिलान पर बना है व वीरभद्र मन्दिर से उक्त रिसोर्ट की दूरी लगभग 50 मीटर है।

2. वन विभाग के प्रतिनिधियों ने जांचोपरान्त पाया कि ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश, देहरादून का भूमि खसरा नं-95 में निर्मित "मोगा रिसोर्ट" आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

3. सिंचाई खण्ड की रिपोर्ट के अनुसार मै० मौगा रिजोर्ट ऋषिकेश के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की ओर से आख्या निम्नानुसार है-

(a) स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मोघा रिसोर्ट रम्भा नदी के बांये तट एवं गंगा नदी के दांये तट पर गंगा-रम्भा नदियों के संगम के समीप निर्मित है, जिसके Co-ordinates 30⁰03'59"N एवं 780 16' 51"E पाये गये।

(b) निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोघा रिसोर्ट की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की परिसीमा के भीतर निर्मित है। उक्त सम्पत्ति की समीप 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र के Co-ordinates निम्नानुसार हैं-

क्र.स.	बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	आक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
1	25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	30.0658	78.2809
		30.0661	78.2807
		30.0665	78.2806
		30.0669	78.2805
		30.0667	78.2804
		30.0662	78.2803

(c) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी के दांये तट पर गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के अनन्तिम अधिसूचना सं0-1875/11(2)-2020 दिनांक 07.10.2020 निर्गत की गयी है एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत होना आपेक्षित है।

(d) वन विभाग द्वारा वीरभद्र कक्ष संख्या-01 एवं कक्ष संख्या-2 के प्रतिषिद्ध जोन की भूमि घोषित किया गया। विषयगत मोघा रिसोर्ट को वन बीट मैप के वीरभद्र कक्ष सं0-1 एवं कक्ष सं0-2 में दर्शाया गया है।

(e) गंगा नदी के मध्य से दूरस्थ भाग की हवाई दूरी 261 मीटर एवं निकटतम भाग की हवाई दूरी 221 मी0 पायी गयी। कुल औसतन गंगा नदी के मध्य से हवाई दूरी 241 मीटर पायी गयी।

4. मोगा रिसोर्ट में कुल 16 कमरे व 02 हाल के अतिरिक्त 04 आवासीय कमरे हैं, जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/ सोकपिट की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में रिसोर्ट के संचालन हेतु जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं है। रिसोर्ट द्वारा दिनांक 02.06. 2022 को प्रथम बार सहमति हेतु आवेदन किया गया जो कि विचाराधीन है।

Copy of Inspection report of Joint Committee along with annexures is enclosed as **Annexure-1.**

III. CONCLUSION AND ACTION TAKEN BY UKPCB:

1. As reported by the Joint Committee, the State Government has notified the interim notification dated 07.10.2020 for declaring prohibited and restricted areas of Rishikesh (from Dhalwala drain to Pashulok barrage and Pashulok Barrage to Haripurkala – along the right bank of the river Ganga) of district Dehradun. In this regard, final notification is yet to be notified.

2. However, based on the observation of the Joint Committee, Uttarakhand Pollution Control Board has asked the District Magistrate Dehradun vide letter dated 22.07.2022 to take necessary action as per rules. Copy of the letter is also endorsed to Conservator of Forests, Shivalik, Divisional Forest Officer, Dehradun Division, Dehradun and Regional Officer, UKPCB, Dehradun for necessary action. Copy of letter issued on dated 22.07.2022 is enclosed as **Annexure-2**.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (IA No-99/2022) में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के अनुक्रम में मै0 मोगा रिसोर्ट के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (IA No-99/2022) में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 में संदर्भित मोगा रिसोर्ट के निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड
2. चीफ इंजीनियर, इरेगेशन डिवीजन–प्रथम देहरादून
3. डा0 अमृता सिंह, तहसीलदार, ऋषिकेश।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. जिलाधिकारी, देहरादून
6. निदेशक, नेशनल इंस्टीटयूट् ऑफ हाइड्रोलोजी
7. निदेशक, फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, देहरादून

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया, जिसमें से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड राज्य में अधिसूचित नहीं होने के कारण सदस्य नामित नहीं किया।

1. जिलाधिकारी, देहरादून : श्री के0के0 मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) देहरादून एवं डा0 अमृता शर्मा तहसीलदार, ऋषिकेश।
2. सिंचाई विभाग : श्री दिनेश उनियाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
3. नेशनल इंस्टीटयूट् ऑफ हाइड्रोलोजी रूड़की : डा0 ए0के0 लोहानी, वैज्ञानिक (जी),
4. फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, देहरादून : डा0 परमानंद कुमार, वैज्ञानिक (डी)
5. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून : डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी

उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.06.2022 को मोगा रिसोर्ट, वीरभद्र मन्दिर के पास, वीरभद्र, ऋषिकेश का निरीक्षण रिसोर्ट के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र मोगा की उपस्थिति में किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. राजस्व अभिखानुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता संख्या–273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा.कले. प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131 ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता संख्या–260 के ख.न.–94घ रकवा 0.0450 है0 94 ड रकवा 0.0810 हे0, 95घ रकवा 0.0130 हे0 **कुल रकवा 0.1390 हे0** भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि. ग्राम (अनुसूचितजाति) को उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एवं भूमि भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी(4च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित हैं। विनियमितिकरण से पूर्व उक्त भूमि श्रेणी 5(1) नई परती के रूप में दर्ज थी। उक्त भूमि पर वर्तमान समय में मोगा रिसोर्ट बना हुआ है, जिसमें कुल 16 कमरे व 02 हॉल के अतिरिक्त 04 आवासीय कमरे हैं। **स्थल पर मौजूद कुल क्षेत्रफल 1478 वर्गमीटर पाया गया।** उक्त मोगा रिसोर्ट रम्भा नदी के मिलान पर बना है व वीरभद्र मन्दिर से उक्त रिसोर्ट की दूरी लगभग 50 मीटर है। **(संलग्नक–1)**
2. वन विभाग के प्रतिनिधियों ने जांचोपरान्त पाया कि ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश, देहरादून का भूमि खसरा नं–95 में निर्मित **"मोगा रिसोर्ट" आरक्षित वन सीमा से बाहर है। (संलग्नक– 2)**
3. सिंचाई खण्ड की रिपोर्ट के अनुसार मै0 मौगा रिजोर्ट ऋषिकेश के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की ओर से आख्या निम्नानुसार है–
   (a) स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मोघा रिसोर्ट रम्भा नदी के बांये तट एवं गंगा नदी के दांये तट पर गंगा–रम्भा नदियों के संगम के समीप निर्मित है, जिसके Co-ordinates 30°03'59"N एवं 78°16'51"E पाये गये।
   (b) निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोघ रिसोर्ट की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की **25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की परिसीमा के भीतर निर्मित है**। उक्त सम्पत्ति के समीप 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र के Co-ordinates निम्नानुसार है

क0सं0	बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	आक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
1	25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	30.0658	78.2809
		30.0661	78.2807
		30.0665	78.2806
		30.0669	78.2805

		30.0667	78.2804
		30.0662	78.2803

(c) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी के दांये तट पर गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अनन्तिम अधिसूचा सं0–1875/11(2)-2020 06(18)2020 दिनांक 07.10.2020 निर्गत की गयी है एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत होना अपेक्षित है।

(d) वन विभाग द्वारा वीरभद्र कक्ष संख्या–01 एवं कक्ष संख्या–2 के प्रतिषिद्ध जोन की भूमि घोषित किया गया। विषयगत मोघा रिसोर्ट को वन बीट मैप के वीरभद्र कक्ष सं0–1 एवं कक्ष सं0–2 में दर्शाया गया है।

(e) गंगा नदी के मध्य से दूरस्थ भाग की हवाई दूरी 261 मीटर एवं निकटतम भाग की हवाई दूरी 221 मी0 पायी गयी, **कुल औसतन गंगा नदी के मध्य से हवाई दूरी 241 मीटर पायी गयी। (संलग्नक 3–5)**

4. मोगा रिसोर्ट में कुल 16 कमरे व 02 हॉल के अतिरिक्त 04 आवासीय कमरे है, जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/ सोकपिट की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में रिसोर्ट के संचालन हेतु जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं है। रिसोर्ट द्वारा दिनांक 02.06.2022 को प्रथम बार सहमति हेतु आवेदन किया गया है, जो कि विचाराधीन है। **(संलग्नक–6)**

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता
यूकेपीसीबी, देहरादून

(दिनेश उनियाल)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

(डा0 परमानंद कुमार)
वैज्ञानिक (डी)
फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट,
देहरादून

(डा0 ए0के0 लोहानी)
वैज्ञानिक 'जी'
ने0 इंस्टी0 ऑफ हाइड्रोलोजी
रूड़की

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
यूकेपीसीबी, देहरादून

(डा0 अमृता शर्मा)
तहसीलदार
ऋषिकेश

20.06.22
(कृष्ण कुमार मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
देहरादून

संलग्नक-1

महोदय, ग्राम- बीरपुर खुर्द, परगना- परवादून, तहसील- ऋषिकेश जिला- देहरादून की खतौनी वर्ष 1426E से 1431F के खाता सं. 293 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा. कले. प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं. विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा- बीरपुर खुर्द धारा- 131ख ज0वि0अधि0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम बीरपुर खुर्द के खाता सं. 260 के ख0नं0 94घ रकबा 0.0450 हे0 94ङ रकबा 0.0810 हे0, 95च रकबा 0.0130 हे0 कुल रकबा 0.1390 हे0 भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र परशुराम नि. ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा 122बी (4च) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है।

यह कि विनियमितीकरण से पूर्व उक्त भूमि श्रेणी- 5(1) नई परती के रूप में दर्ज थी।

यह कि उक्त भूमि पर वर्तमान समय में मोगा रिसोर्ट बना हुआ है, जिसमें कुल 16 कमरे व 02 हॉल बने हुये हैं।

यह कि उक्त मोगा रिसोर्ट गंगा नदी के किनारे पर बना है व वीरभद्र मन्दिर से उक्त रिसोर्ट की दूरी लगभग 50 मीटर है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

महोदय,

ग्राम-बीरपुरखुर्द, परगना-परवादून, तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून की खतौनी वर्ष 1426फ से 1431फ के खाता सं॰ 273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं॰ 10/10/2015, सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा-बीरपुरखुर्द, धारा 143 ज॰ वि॰ अधि॰, कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम बीरपुरखुर्द के खाता सं॰ 260 के ख॰ नं॰ 94घ रकबा 0.0450 है॰, 94ङ॰ रकबा 0.0810 है॰, 95घ रकबा 0.0170 है॰ कुल रकबा 0.1390 है॰ भूमि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि॰ ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ॰प्र॰ ज॰वि॰ अधि॰ एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 की (4-च) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुये संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है।

यह कि विनियमितीकरण से पूर्व उक्त भूमि श्रेणी 5(1) नई परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त क्षेत्र वर्तमान समय में नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत है। उक्त भूमि पर योगा रिसोर्ट बना हुआ है, जिसमें 16 कमरे व 2 हॉल के अतिरिक्त 4 अतिरिक्त कमरे भी हैं। उक्त योगा रिसोर्ट (सम्पत्ति) का स्थल पर कुल क्षेत्रफल 1478 वर्ग मी॰ (1768 वर्ग गज) है। उक्त योगा रिसोर्ट ... गंगा नदी के किनारे पर है एवं वीरभद्र मन्दिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।

अतः रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
रा॰ नि॰
ऋषिकेश

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 045341 ग्राम का नाम / परगना : बीरपुरखुर्द(परवादून) तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

5-1/नयी परती (परती जदीद)

खाता खतौनी क्रम संख्या —1—	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान —2—	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष —3—	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या —4—	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) —5—	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान —6—	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद —7-12—	टिप्पणी —13—
00273	नई परती//		12ङ 17ग 20ख 31ख 35ग 35घ 40ङ 44ग 45ख 47ग 49ङ 52ख 55ख 56ग 64ग 64द्व 65ठ 67ख 68ख 69ख 84घ 87ख 93ख 94घ 94ङ मि 95ख मि.	0.0560 0.0010 0.0100 0.0200 0.0120 0.0080 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0100 0.0110 0.0200 0.0100 0.0150 0.0200 0.0100 0.0050 0.0450 0.0810 0.0210	0.00	आदेशानुसार परगनाधिकारी ऋषिकेश ता0 फै0 26-4-07 आदेश हुआ कि ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता न. 195 के ख.न.95मि रक्बा0.004 हे.भूमि पर श्रीमति तेतरी देवी पत्नी हरिनाथ का नाम बतौर विनियमितिकरण आबादी अंसक्रमणीय भूमिधर की हैसियत से श्रेणी 6 (2) अंकित किया जावे. (आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार उप-जिलाधिकारी ऋषिकेश दिनांक 4.10.06 के अनुसार ग्राम बीरपुरखुर्द के खाता सं0 222 के खसरा न0 222 के खसरा न0 95मि. रक्बा 0.012है0 पर ग्राम समाज का नाम खारिज कर होकर आर.बी.जदली पुत्र स्व0 धनानन्द जदली नि.ग्राम का नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज होवे।(आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 01/2014-15 ग्राम बीरपुरखुर्द परगना परवादून 122(4)एक कमला देवी बनाम सरकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2016 के आधार पर ग्राम ऋषिकेश के खाता सं0 260 फसली वर्ष 1420-1425 श्रेणी 5(1) नई परती के खसरा न0 95मि. रक्बा 0.0050हे0 भूमि श्रीमती कमला देवी पत्नी सुरेशचन्द्र निवासी वीरपुरखुर्द के नाम असंक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज किय जाने के आदेश पारित किये गये (परवाना) आ.न्या.सहा.कले.प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुरखुर्द के खाता सं0 260 के खसरा नं0 94घ रकबा 0.0450हे, खसरा न0 94ङ रकबा 0.0810हे. खसरा न0 95ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390हे. भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टूराम नि0 ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0 वि0 एं0 भू0व्य0 अधि0 1950 की धारा 122बी (4च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों मे अंकित होवे. परवाने से पृ0 सं0 86 क्र0 11	
			26	0.3910			

कुल गाटे: दो छ: कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन नौ एक कुल-भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

उद्धरण खतौनी

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश   जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 11-04-2022 01:13:16 PM

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

संलग्नक-
12

प्रेषक,

तहसीलदार
ऋषिकेश।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी / संयुक्त मजिस्ट्रेट
ऋषिकेश।

संख्याः 166 /आर0सी0-2022 दिनांकः 26, अप्रैल,2022

विषयः- **वीरभद्र क्षेत्र में कक्ष संख्या-01 एंव 02 वन भूमि में स्थित "मोगा रिसोर्ट" की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक श्री विपिन नैय्यर पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार नैय्यर निवासी म0न0-108/305, गली न0-08 वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश के पत्र दिनांक 12.01.2022 पर प्रभारी अधिकारी आंग्ल अभिलेखागार कलेक्ट्रेट देहरादून के पृष्ठांकन आदेश संख्या 2263 दिनांक 15.01.2022 पर आपके पृष्ठांकन आदेश संख्या 1003 दिनांक 29.01.2022 एंव श्री विपिन नैय्यर के अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2022 पर आपके पृष्ठांकन आदेश संख्या 421 दिनांक 13.01.2022, वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेंज देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1206/12 ऋषिकेश दिनांक 05.03.2022 एंव जिलाधिकारी महोदय देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 255/एल0बी0सी0-2020-21 दिनांक 13.12.2021 पर आपके पृष्ठांकन आदेश संख्या 913 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो वीरभद्र क्षेत्र में कक्ष संख्या-01 एंव 02 वन भूमि में स्थित "मोगा रिसोर्ट" की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में है। जिसके सम्बन्ध में सिचांई विभाग, वन विभाग, नगर निगम ऋषिकेश व राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण करवाया गया।

अतः सिचांई विभाग, वन विभाग, नगर निगम ऋषिकेश व राजस्व विभाग की संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीया,

(डा0 अमृता शर्मा)
तहसीलदार
ऋषिकेश।

सत्यप्रति प्रतिलिपि

लोक सूचना अधिकारी
तहसील ऋषिकेश
देहरादून

संयुक्त जांच आख्या

महोदय

संलग्न पत्र सं0 30/आर0सी00/2022, दिनांक 21.03.2022 कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश जनपद देहरादून विषय वीरभद्र क्षेत्र में कक्ष सं0 01 एवं 02 वन भूमि में स्थित "मोगा रिसोर्ट" की बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अंतर्गत दिनांक 06.04.2022 को संयुक्त स्थलीय जांच की गयी। स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1– राज्य सरकार के शासनादेश सं0 1875/ II(2)–23020–06(18)/2020 दिनांक 07.10.2020 द्वारा जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में डालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज तक एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दाये तट पर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों की भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की अनन्तिम घोषणा जारी की गयी है। जिसकी अनुसूचि–1 में वीरभद्र कक्ष सं0–01 एवं 02 में क्रमशः 25.23 है0 एवं 46.66 है0 भूमि गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्र के अंतर्गत प्रतिषिद्ध श्रेणी के रूप में चिन्हित की गयी जिसका वर्तमान भू–उपयोग गंगा नदी का दांया किनारा एवं वन भूमि के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचि–2 में वीरभद्र कक्ष सं0–01 एवं 02 में क्रमशः 3.04 है0 एवं 7.30 है0 भूमि गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्र के अंतर्गत निर्बन्धित श्रेणी की भूमि के रूप में चिन्हित की गयी जिसका वर्तमान भू–उपयोग गंगा नदी का दांया किनारा एवं वन भूमि उल्लेखित है। विषयगत सम्पत्ति वीरभद्र कक्ष सं0–01 व 02 में विद्यमान है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त सम्पत्ति के समीप गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्रण पिलर पाये गये। इस भू–भाग का कुछ हिस्सा निर्बन्धित श्रेणी एवं प्रतिबन्धित श्रेणी में आता है। शेष भाग बाढ मैदान परिक्षेत्र से अवमुक्त है। पूर्व में वन विभाग द्वारा बाढ परिक्षेत्र हेतु सर्वे किया जा चुका है।

2– वन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधियों ने जांचोपरान्त पाया कि ग्राम–वीरपुरखुर्द, तहसील–ऋषिकेश पशुलोक (देहरादून) का भूमि खसरा नं0–95 में निर्मित "मोगा रिसोर्ट" आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

3– नगर निगम ऋषिकेश प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त क्षेत्र "मोगा रिसोर्ट" नगर निगम ऋषिकेश सीमा के अंतर्गत है।

4– ग्राम वीरपुरखुर्द, परगना–परवादून, तहसील–ऋषिकेश (देहरादून) की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 के खाता सं0–00273 के भूमि खसरा नं0–94घ, रकवा 0.0450 है0, 94ङ रकवा 0.0810 है0, 95ख रकवा 0.0130 है0 कुल रकवा 0.1390 है0 पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर मोगा रिसोर्ट बना है।

सहायक अभियन्ता नगर निगम ऋषिकेश	राजस्व निरीक्षक ऋषिकेश 6-4-22	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र–ऋषिकेश 06.4.2022	नायब तहसीलदार ऋषिकेश
अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग	अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग	वन बीट अधिकारी वीरभद्र	वन दरोगा वीरभद्र, ऋषिकेश 6/4/22

सत्यप्रति प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी
तहसील ऋषिकेश
देहरादून

संलग्न-3
14

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रेषित,

डॉ0 राजकुमार चतुर्वेदी,
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

पत्रांकः– 2041 / अ0अ0 / सिं0ख0दे0 दिनांकः 30 / 06 / 2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं0–605 / 2022(IA99/2022) मे पारित आदेश दिनांक 06 / 05 / 2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक UKPCB/ROD/NGT-46/2022-23/1286-657, दिनांक 15.06.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि दिनांक 21 / 06 / 2022 को मैसर्स मोगा, रिजोर्ट ऋषिकेश के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की ओर से आख्या निम्नानुसार हैः–

1. स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मोघा रिसार्ट रम्भा नदी के बांये तट एवं गंगा नदी के दांये तट पर गंगा–रम्भा नदियों के संगम के समीप निर्मित है, जिसके Co-ordinates 30°'03'59"N एवं 78°16'51"E पायें गयें।
2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोघा रिसॉर्ट की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की परिसीमा के भीतर निर्मित है।(संलग्नक–1) उक्त सम्पत्ति के समीप 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र के Co-ordinates निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
1	25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र	30.0658	78.2809
		30.0661	78.2807
		30.0665	78.2806
		30.0669	78.2805
		30.0667	78.2804
		30.0662	78.2803

3. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी के दांये तट पर गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अनन्तिम अधिसूचना सं0–1875/11(2)-2020 06(18)2020 दिनांक 07.10.2020 निर्गत की गयी है एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत होना अपेक्षित है।(संलग्नक–2)
4. वन विभाग द्वारा वीरभद्र कक्ष सं0–1 एवं कक्ष सं0–2 में गंगा नदी के 25 वर्षीय बाढ मैदान परिक्षेत्र को वन बीट मैप में चिन्हित कर क्षेत्रफल का आंकलन किया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त शासनादेश में वीरभद्र कक्ष सं0–1 एवं कक्ष सं0–2 के प्रतिषिद्ध जोन की भूमि को घोषित किया गया। विषयगत मोघा रिसोर्ट को वन बीट मैप के वीरभद्र कक्ष सं0–1 एवं कक्ष सं0–2 में दर्शाया गया है।(संलग्नक–3)

अतः आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

30/6/22
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

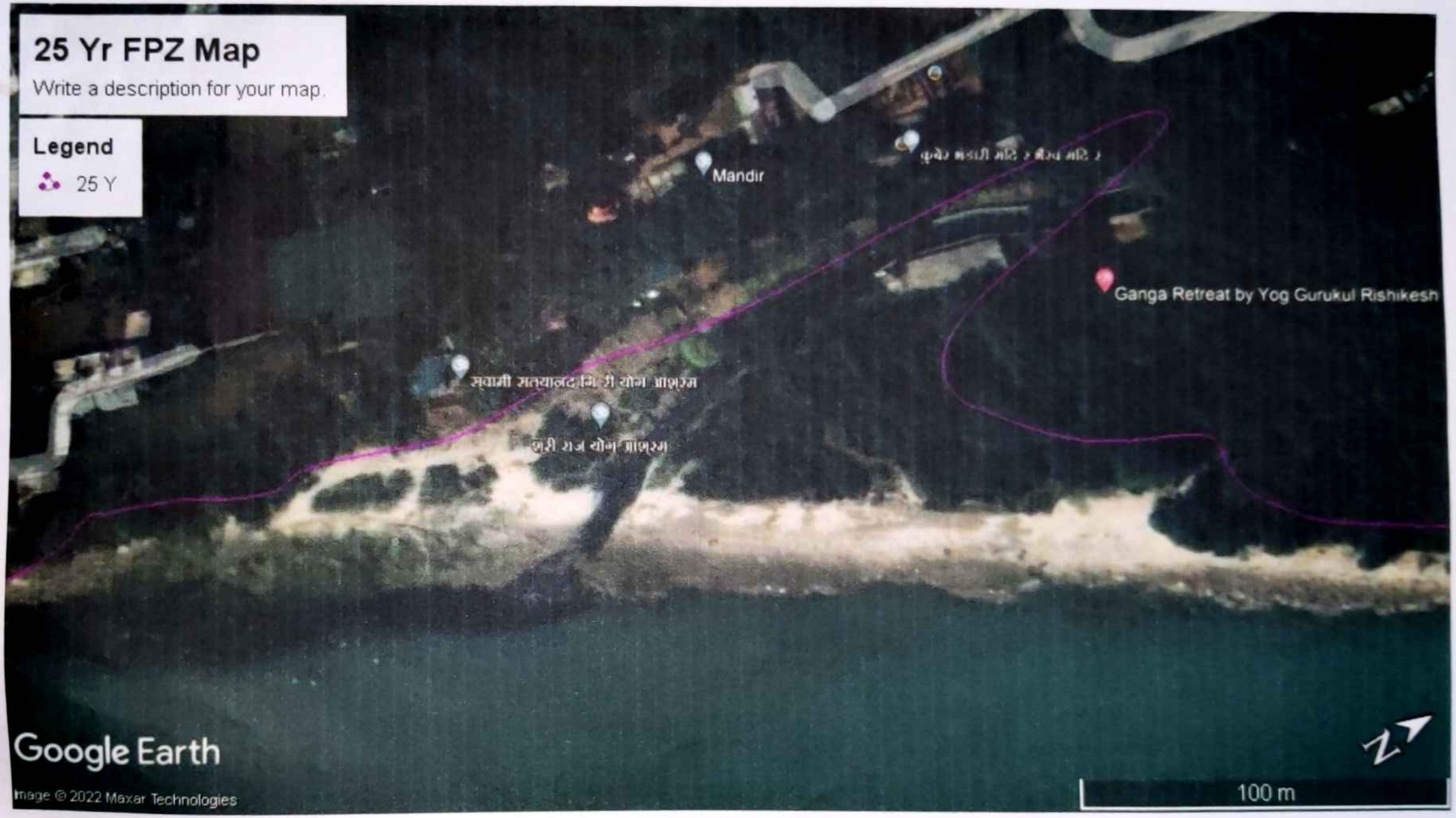

25 Yr FPZ Map
Write a description for your map.
Legend
25 Y
Mandir
Ganga Retreat by Yog Gurukul Rishikesh
Google Earth
Image © 2022 Maxar Technologies
100 m
N

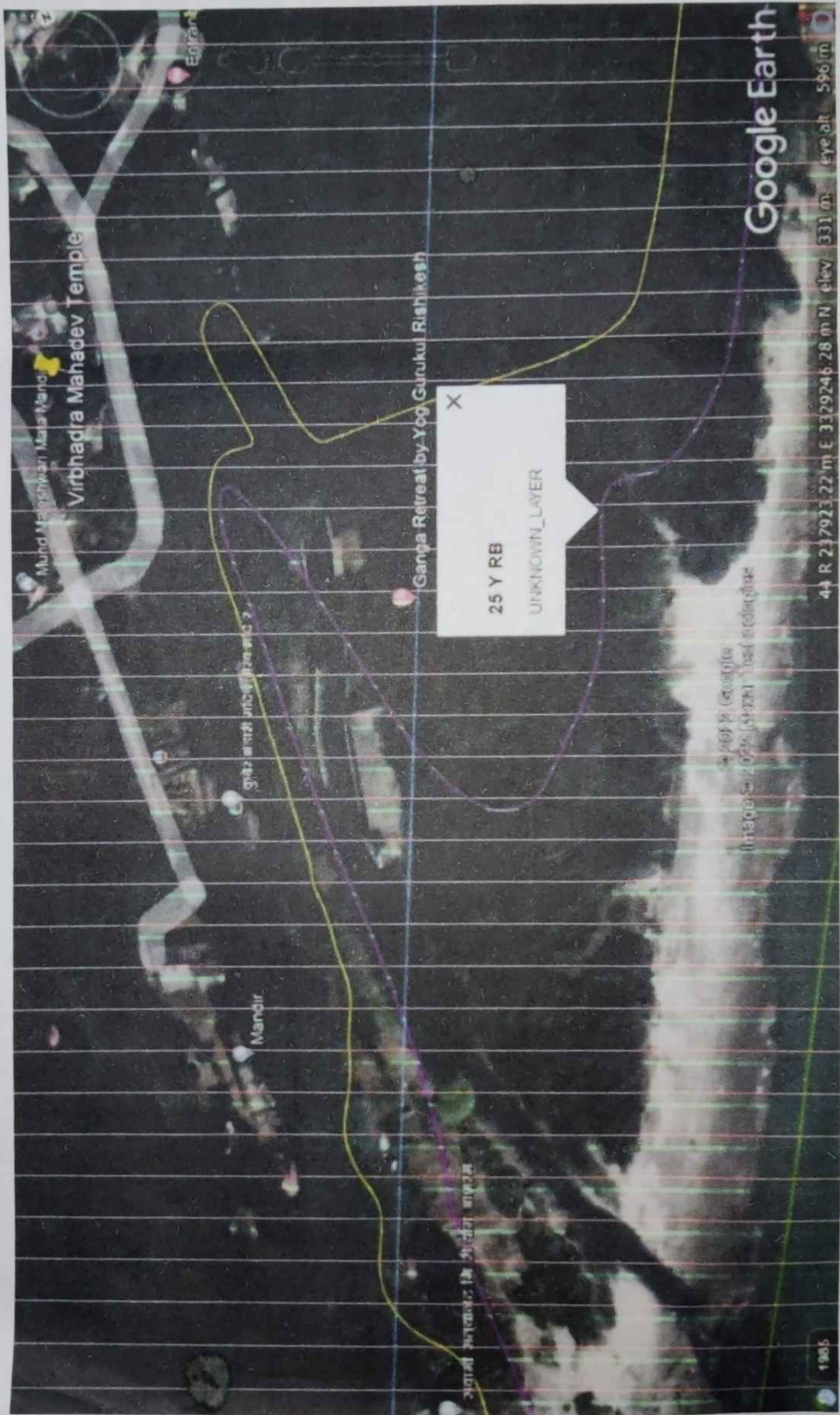
Virbhadra Mahadev Temple
Mund Maheshwari Mata Mandir
Ganga Retreat by Yog Gurukul Rishikesh
25 Y RB
UNKNOWN_LAYER
Mandir
Google Earth
44 R 237923.22 m E 3329246.28 m N elev 331 m eye alt 596 m
1985

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या — / ।।(2)–2020–06(18) / 2020
देहरादूनः दिनांक, 07 ~~अगस्त~~ अक्टूबर 2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक (ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून) अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र0सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध / बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, सिंचाई / जल विद्युत परियोजनाओं के विपथन (Diversion) आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण / अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नकः यथोपरि।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या 1875/ ।।(2)–2020–06(18)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढवाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या :– 1875 / II(2)-2020 06(18)2020 दिनांक 07 अक्टूबर 2020

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्रण की प्रतिषिद्ध (Prohibited) अनुसूची–1

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर

परगना–परवादून / तहसील–ऋषिकेश / जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0 / गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.0772	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
	299	299	43.9176	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
वीरभद्र	कक्ष संख्या–1	-	25.23	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
	कक्ष संख्या–2	-	46.66	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
खड़कमाफ	33, 84,181,291, 305, 410, 431, 439	22 मि0	5.2610	कृषि / बंजर	कृषि / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–5	
	433,40,64,84,109 , 180,181,258,291, 303, 305,328,351,410, 430, 433,431,437,440	23 मि0	18.0597	कृषि / आ0 / सिंलिंग / बंजर	कृषि / आ0 / सिंलिंग / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.0540	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.1880	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0430	बंजर	कृषि / आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.4630	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2820	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.1190	बंजर	आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	439	30 मि0	0.2330	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.0440	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	440	32 मि0	1.0600	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	443	34, 35, 36, 110 मि0	1.0940	गंगा जी	खाली	श्रेणी–6(1)	
	439	37 मि0	0.4090	बंजर	खाली / कृषि	श्रेणी–5	
	440	38 मि0	0.1420	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.2930	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.6570	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0650	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.1000	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	

	442	101 मि0	0.0100	गूल	गूल	श्रेणी–6(1)	
	3, 34,72, 160,186, 192, 302, 320	106 मि0	0.0470	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.0410	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.7430	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	
	34,72,160	109 मि0	0.1170	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	
	108, 419	111 मि0	1.0530	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	
	76, 122, 186, 245	112 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	5,442	113 मि0	0.0650	कृषि / गूल	कृषि / गूल	स0भू0 श्रेणी–6–1	
	353, 250, 318	114 मि0	0.5230	कृषि	कृषि	स0भू0	
	303	122मि0	0.1500	कृषि	कृषि	स0भू0	
	48,108,73,348	129 मि0	0.7290	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	131 मि0	5.6500	बंजर	कृषि / पटटेदार	श्रेणी–5–3 (ड.)	
	438	138, 139, 140मि0	42.5780	वन विभाग	वन / स्कूल	श्रेणी–5	
	445	22/141 मि0	0.3040	सड़क खाम	सड़क	श्रेणी–6(2)	
गौहरीमाफी	8, 22, 46, 67, 97,213, 308, 338, 360, 378, 409	162	1.549	कृषि	कृषि	स0भूमिधर	
	125, 486	163	0.101	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	486	164	2.706	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	125, 227, 420, 486	165	1.716	कृषि, वन	वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	213, 486	166	0.032	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	483, 213, 486	169	3.042	कृषि, वन	कृषि, वन सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–5 श्रेणी–4	
	172, 378, 483	180	0.711	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–4	
	483	181	0.740	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	श्रेणी–4	
	486	167	0.105	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी–5	
	486	168	0.012	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी–5	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	nil	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स0भू0 श्रेणी–6 (1)	
	486	252	0.285	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	378, 486	253	2.438	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	486	254	0.1650	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
		255	52.970	वन भूमि, सीलिंग नदी	वन भूमि, सीलिंग, नदी	श्रेणी–5, श्रेणी–4, श्रेणी–6	
रायवाला	906, 909	395	3.268	बंजर, नदी	बंजर, नदी	श्रेणी–6 व 5	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914, 904	824	10.764	नदी (जलमग्न)	नदी	श्रेणी–6	
	904	807	19.665	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	909, 904	825	68.833	नदी, वन भूमि	नदी, वन	श्रेणी–5 व 6	
हरिपुरकलां	1564	531 ख	1.9000	बंजर भूमि	नदी	5–3–ड.	
	1376	556 ख	0.0600	कृषि	खाली	स0भू0	

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

अधिसूचना संख्या :– 1875 / II(2)-2020 06(18)2020 दिनांक 07 अक्टूबर 20

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की निर्बन्धित (Restricted) अनुसूची–2

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तकऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर

परगना–परवादून / तहसील–ऋषिकेश / जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0 / गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.6648	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
	299	299	1.0193	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
वीरभद	कक्ष संख्या–1	—	3.04	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
	कक्ष संख्या–2	—	7.30	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
खड़कमाफ	4,33,40,64,84,109,180, 181,258,291,303,305,328, 351,410,430,433,431, 437,440	23 मि0	15.1000	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.2100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.2000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0300	बंजर	कृषि / आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.3100	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2200	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.2900	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.2800	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	443	34,35,36	0.7600	गंगा	खाली	श्रेणी–6–1	
	440	38 मि0	0.0600	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.1100	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.1600	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0950	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.0600	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	
	442	101 मि0	0.0450	गूल	गूल	श्रेणी–6(1)	
	31,409	105 मि0	0.3000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	3,34,72,160,186,192,302, 320	106 मि0	0.7500	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.2000	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	

	34,72,160	109 मि०	0.0030	कृषि	कृषि / सड़क	स०भू०	
	108 ,419	111 मि०	0.2500	कृषि	कृषि / सड़क	स०भू०	
	76, 122 , 186 ,245	112 मि०	0.1800	कृषि	कृषि	स०भू०	
	5,442	113 मि०	0.0400	कृषि / गूल	कृषि / गूल	स०भू० श्रेणी–6–1	
	353, 250 , 318	114 मि०	0.1100	कृषि	कृषि	स०भू०	
	303	122 मि०	0.2700	कृषि	कृषि	स०भू०	
	19 , 417 , 416 , 369	123 मि०	0.5820	कृषि	कृषि	स०भू०	
	167,306, 183	124 मि०	0.8720	कृषि	कृषि	स०भू०	
	348, 256,238	127 मि०	0.1490	कृषि	कृषि	स०भू०	
	174 ,114	128 मि०	0.3710	कृषि	कृषि	स०भू०	
	48,108,73,348	129 मि०	0.7200	कृषि	कृषि	स०भू०	
	440	131 मि०	1.3500	बंजर	बंजर / पटटेदार / वन / स्कूल	श्रेणी–5–3 (ड.)	
	438	138, 139, 140 मि०	3.0400	वन विभाग	वन / स्कूल	श्रेणी–5	
	445	22/141	0.3040	सड़क खाम	सड़क	श्रेणी–6(2)	
गौहरीमाफी	170, 108, 180, 190	158	0.0205	कृषि		स०भू०	
	46, 338	159,60	0.012	गूल	रास्ता, गूल	श्रेणी–6	
	8, 22, 46, 67, 213, 308, 338, 360, 378, 409	162	0.768	कृषि	कृषि	स०भू०	
	125, 486	163	0.280	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स०भू० श्रेणी–5	
	125, 227, 420, 486	165	0.373	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स०भू० श्रेणी–5	
	213, 486	166	0.016	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स०भू० श्रेणी–5	
	483, 213, 486	169	0.440	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन सीलिंग	स०भू० श्रेणी–5 श्रेणी–4	
	172, 378, 483	180	0.124	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स०भू० श्रेणी–4	
	483	181	0.276	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	सीलिंग	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	1.176	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स०भू० श्रेणी–6(1)	
	132, 155, 378	251	1.386	कृषि	कृषि	स०भू०	
	486	252	0.070	वन सरकारी	वन	श्रेणी–5	
	378, 486	253	0.023	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	486	254	0.400	वन	वन	श्रेणी–5	
रायवाला	124	487	0.060	कृषि	कृषि	स०भू०	
	124	488	0.060	कृषि	कृषि	स०भू०	
	124	489	0.070	कृषि	कृषि	स०भू०	
	124	490	0.010	कृषि	कृषि	स०भू०	
	124	491	0.250	कृषि भूमि	कृषि	स०भू०	
	124	492	0.007	कृषि भूमि	गूल	स०भू०	
	719 ,291 ,124	493	0.125	कृषि भूमि	कृषि	स०भू०	
	719 ,911 ,909	494, 495	0.210	नदी, आबादी	नदी	स०भू०, श्रेणी–6	
	68, 911, 319, 719, 909	498	0.646	कृषि, नदी, आबादी	कृषि, नदी, आबादी	स०भू० श्रेणी–6	
	68,319	500	0.200				

	906	503	0.369	बंजर कृषि	कृषि, भवन, बंजर, ग्रा0स0	स0भू0 श्रेणी–5	
	828	502	0.0025	आ0		स0भू0	
	828	504	0.0045			स0भू0	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914	824	2.334	नदी	नदी	श्रेणी–6	
	904	807	3.954	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	906, 129, 907	804	3.547	कृषि, बंजर	बंजर	स0भू0, श्रेणी–5	
	906	808	0.140	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 909	395	1.081	बंजर	नदी, बंजर	श्रेणी–6 व 5	
	96	462	0.166	कृषि, आबादी	कृषि	स0भू0	
	291, 153	463	0.159	कृषि	कृषि	स0भू0	
	829, 291	468	0.433	कृषि	कृषि	स0भू0	
	47	469	0.554	कृषि	कृषि	स0भू0	
	47	470	0.005	कृषि	कृषि	स0भू0	
	837	471	0.151	कृषि	कृषि	स0भू0	
	294, 291	472	0.250	कृषि	कृषि	स0भू0	
	241, 570, 291	473	0.362	कृषि	कृषि	स0भू0	
	241	474	0.100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	89	476	0.154	कृषि	कृषि	स0भू0	
	209	477	0.154	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	478	0.110	कृषि	कृषि	स0भू0	
	185	479	0.571	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	480	0.070	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	481	0.200	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	482	0.082	कृषि	कृषि	स0भू0	
	906, 909, 291	483	0.449	कृषि, नाला	नाला	श्रेणी–6	
	906	484	0.101	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 687	485	0.200	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	687, 124	486	0.372	कृषि	कृषि	स0भू0	
हरिपुरकलां	1376	556 ख	0.9200	कृषि / आवासीय	बस्ती (सपेरा बस्ती)	स0भू0	
	1564	531 ख	2.5800	बंजर भूमि	नदी	5–3–ड.	
	436	532 ख	0.1200	आवासीय	आवास	स0भू0	

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संलग्नक -5

24

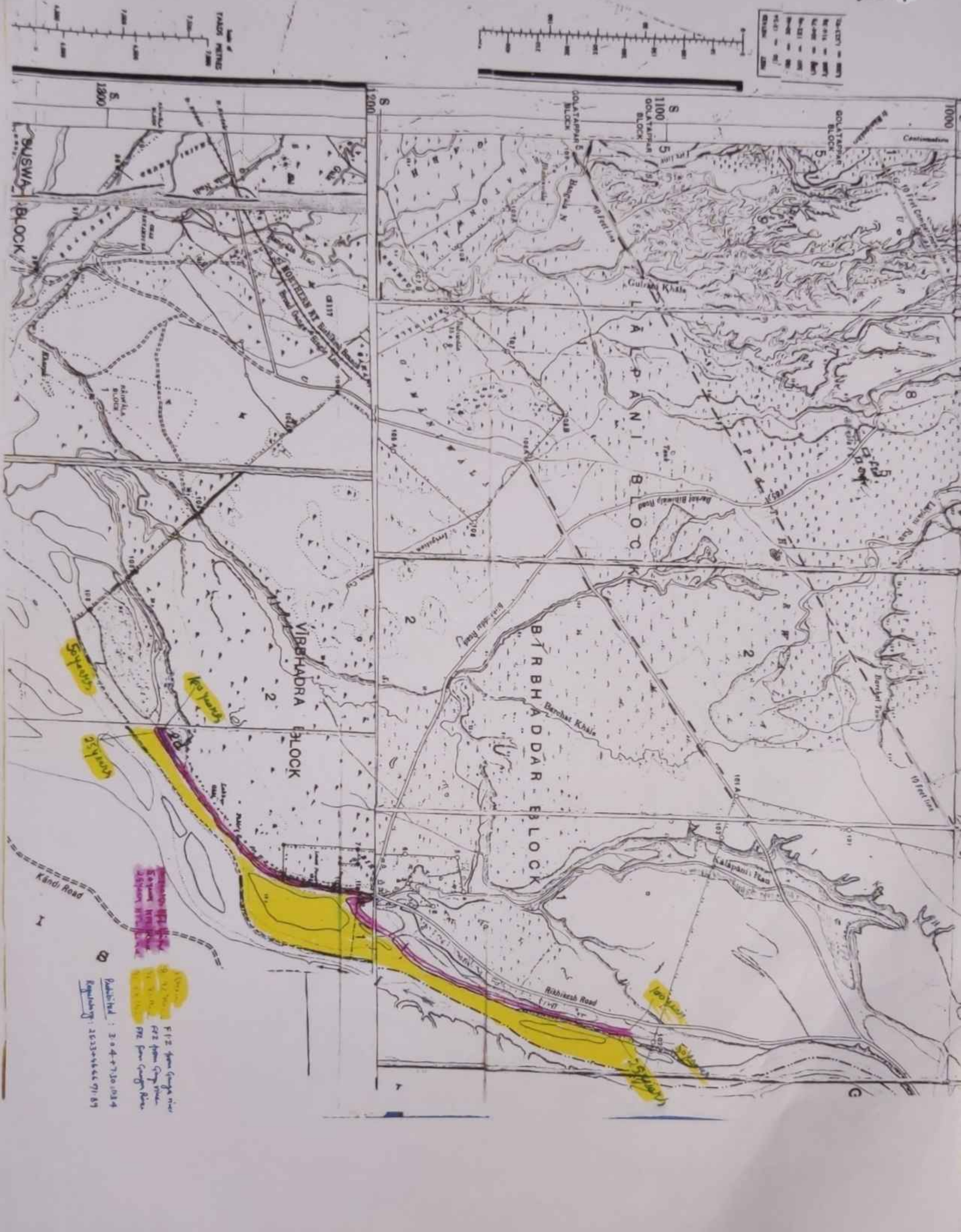

GOLATAPPAR BLOCK
1100
1200
1000
1800
Centimetres
LALPANI BLOCK
VIRBHADRA BLOCK
BIRBHADDAR BLOCK
Gulrani Khala
Barchat Khala
Kalapani Rau
Rikhikesh Road
Kandi Road

प्रेषक:– **सहायक अभियन्ता–प्रथम**
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रेषित:– **श्री सुरेन्द्र मोघा**
पुत्र स्व० श्री पी० आर० मोघा
निवासी–वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश
जिला–देहरादून
मो०–9719000813

पत्रांक:– 178 **/स०अ०प्र०/सि०ख०दे०** **दिनांक :– 27/05/2022**

विषय:– **निर्मित भवन की गंगा नदी से दूरी सम्बन्धी पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18/05/2022 में आपकी संपत्ति खाता संख्या–207 खसरा नं०–94घ व 95ख व रकबा 0.1390 है० के सम्बन्ध में उक्त भाग की गंगा नदी से दूरी प्रमाण पत्र की वांछना की गयी है।

इसी क्रम में इस कार्यालय से श्री कुलदीप सिंह एवं श्री आशीष बिष्ट, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में जिस स्थान से गंगा नदी बह रही है उसको नदी का बहाव क्षेत्र मानते हुए विषयगत निर्मित भवन के मुख्य भाग जो कि गंगा नदी से निकटतम है एवं पृष्ठ भाग जो कि गंगा नदी से दूरस्थ स्थित है, के गंगा नदी के तट एवं मध्य से पृथक–पृथक हवाई दूरी आंकलित की गयी, जिसमे पाया गया कि निर्मित भवन का दूरस्थ भाग 108 मी० हवाई दूरी पर स्थित है एवं भवन का निकटतम भाग गंगा नदी के तट से 100 मी० हवाई दूरी पर स्थित है। अतः गंगा नदी के तट से औसतन हवाई दूरी 104 मी० पायी गयी। इसी प्रकार गंगा नदी के मध्य से दूरस्थ भाग की हवाई दूरी 261 मी० एवं निकटतम भाग की हवाई दूरी 221 मी० पायी गयी, कुल औसतन गंगा नदी के मध्य से हवाई दूरी 241 मी० पायी गयी।

अतः उपरोक्तानुसार दूरी की सूचना मात्र इस कार्यालय को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित प्रयोजन हेतु निर्गत की जाती है।

भवदीय

सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

निर्बन्धित (REGULATORY)

जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत पशुलोक बैराज से लक्कड़घाट तक वन विभाग में आने वाले ग्राम/क्षेत्र :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खाता खतौनी	खसरा/ गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग /भूमि की श्रेणी	
					भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार
1	वीरभद्र	कक्ष सं0–1		3.04	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाड़ी रेतीला
		कक्ष सं0–2		7.30	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाड़ी रेतीला

प्रतिषिद्ध (PROHIBITED)

जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश के अन्तर्गत पशुलोक बैराज से लक्कड़घाट तक वन विभाग में आने वाले ग्राम/क्षेत्र :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खाता खतौनी	खसरा/ गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग /भूमि की श्रेणी	
					भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार
1	वीरभद्र	कक्ष सं0–1		25.23	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाड़ी रेतीला
		कक्ष सं0–2		46.66	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाड़ी रेतीला

संलग्न :– नक्शा (01 प्रति)

[signature] 2019
वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

[signature]
(पीजे-एस.पी.ओ.एस.)
सर्वेक्षक
देहरादून वन प्रभाग

संलग्नक-6

27

Application Details print

Industry Name : MOGHA JI RESORT
Address : VEERPUR KHURD VEERBHADRA RISHIKESH Dehradun
Cap Inv(in Lakh) : 50.0
Consent Type : CTO
AppId/Caf Id : 2672936/9712
Industry Type : Non Industrial

Category Name : GREEN
District Name : Dehradun
Net Asset Value(in Lakh): 50.0
Certificate For: reNew
Application Date : 02/06/2022

Date Time: 03-06-2022 10:24
Note By: RO(205)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description:
Activity: Inspection
Description:

Date Time: 09-06-2022 11:41
Note By: Inspecting Officer 7(209)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description:
Activity: Return
Description: pls submit land use certificate

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
कार्यालय दूरभाष सं0:–2976157, 2976158, 2607092

पत्रांकःयूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा.–183–566 / 2022 / 670, **दिनांकः 22.07.2022**

पंजीकृत डाक द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–305 / 2022 विपिन नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के क्रम में गठित संयुक्त कमेटी की जांच आख्या के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–305 / 2022 विपिन नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 के क्रम में गठित संयुक्त कमेटी की जांच आख्या का संदर्भ लेना चाहें। **सुलभ संदर्भ हेतु संयुक्त कमेटी की जांच आख्या संलग्न है।**

अवगत कराना है कि श्री विपिन नायर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उपरोक्त मूल आवेदन के माध्यम से यह आवेदन किया गया है कि, वीरभद्र, ऋषिकेश में स्थापित मै0 मोगा रिसोर्ट वन भूमि में तथा गंगा नदी के 1:25 Years फलड प्लेन ज़ोन में स्थित है। अतः उक्त प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में दिनांक 06.05.2022 को जिलाधिकारी, देहरादून, यू.के.पी.सी.बी., चीफ–इन्जीनियर, इरिगेशन डिवीज़न, एस.ई.आई.ए.ए., नामित प्रिन्सीपल साइन्टिस्ट, नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की एवं फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीटयूट, देहरादून का एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था एवं संयुक्त कमेटी को निरीक्षण कर आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया था।

संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के बिन्दु 3(b) के अनुसार "मोघ रिसोर्ट की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय वार्ड आवृत्ति परिक्षेत्र की परिसीमा के भीतर निर्मित है"।

आप अवगत हैं कि, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवदेन सं0–200 / 2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियम ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 में पारित आदेश के अनुपालन में आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 14.12.2016 को मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रैगुलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाइडलाईन्स एवं बाइलॉज़ निर्गत किये गये हैं। **सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।**

उक्त गाइडलाईन्स के अनुसार.......

(ब)–रेग्यूलेटरी जोन–मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर से अग्रेत्तर 300 मीटर तक के क्षेत्र को रेग्यूलेटरी जोन निर्धारित किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ सं0–2

29

(1) नदी के तट से 30.0–30.0 मीटर तक का क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र, जो पच्चीस साल तक के अन्तराल के आधार पर (flood upto 25 year frequency) बाढ़ प्रभावित हों, में से जो भी अधिक होगा, में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। रेग्यूलेटरी जोन वृक्षारोपण/पार्क/मैदान कृषि आदि तत्संबंधी गतिविधियों हेतु आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर आहुत होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होगा तथा उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मै0 मोगा (मोघ) रिसोर्ट, वीरभद्र, ऋषिकेश के 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की परिसीमा के भीतर निर्मित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, शिवालिक वृत एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून, तिलक रोड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संयुक्त टीम की जांच आख्या के **बिन्दु सं0–2** के अनुसार **प्रश्नगत मोगा रिसोर्ट आरक्षित वन सीमा के बाहर है**, जबकि उक्त रिपोर्ट के **बिन्दु सं0–3(d) के अनुसार उक्त रिसोर्ट वन बीट मैप के वीरभद्र कक्ष सं0–1 एवं कक्ष सं0–2 में दर्शाया गया है**। अतः यह स्पष्ट करें कि उक्त रिसोर्ट वन सीमा के अंतर्गत आच्छादित है अथवा नहीं? वन सीमा के अंतर्गत स्थित होने पर नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संयुक्त कमेटी की जांच आख्या के **बिन्दु सं0–4 के अनुसार प्रश्नगत रिसोर्ट में कुल 16 कमरे व 2 हॉल के अतिरिक्त 4 आवासीय कमरे हैं**। अतः उक्त रिसोर्ट को पॉल्यूशन इन्डैक्स के आधार पर **ऑरेन्ज कैटेगरी** के अन्तर्गत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियम ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के अनुसार 20 कमरे या उससे अधिक वाले रिसोर्ट/होटल से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/बायो–डायजेस्टर की स्थापना आवश्यक है। परन्तु, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या के अनुसार उक्त रिसोर्ट से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गई है, जो कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त निर्देशानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार कार्यवाही करते हुए एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः– आयुक्त गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी–गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सदस्य सचिव।